>

Title: Need to enhance financial assistance to Panchayats.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में शून्य प्रहर में अति लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज देश में पंचायतों के जनप्रतिनिधियों एवं विकास के मानक पर आर्थिक संकट के बादल छाए हैं।

सभापति महोदय, संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत यह प्रदत्त है कि 29 से लेकर 32 विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ग्राम प्रधानों को मानदेय 750 रुपए राज्य सरकार देती है, जो दिहाड़ी मजदूरों के बराबर भी नहीं है। जनप्रतिनिधियों को मानदेय विकास धन से नहीं देना चाहिए, बल्कि अलग से बजट का प्रावधान हो।

सभापति महोदय, प्रधान, जिला पंचायतों को 7 हजार रुपए देने चाहिए और जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्हें कम से कम 10 हजार रुपए प्रति महीने दिए जाने चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्षों को मंत्री स्तरीय दर्जा दिया जाए, तभी जिला पंचायतों का अपना महत्व बढ़ेगा। बाजार रेट पर मिड डे मील खरीदने की सुविधा दी जाए। आज महंगाई के कारण मिड डे मील के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। खाना बनाने वाले को नरेगा से मानदेय के भुगतान का अधिकार होना चाहिए। जो मजदूर नरेगा में हफ्ताभर मजदूरी करता है, वह अपनी मजदूरी लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाता है। उसे मजदूरी मिलने में बहुत कठिनाई आती है। उसे मजदूरी मिलने में बहुत देरी होती है, जिसके कारण वह साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेने के लिए बाध्य होता है।

महोदय, मजदूरों की मजदूरी 100 रुपए प्रति दिन की जाए। मानक के अनुसार प्रति दिन वह 40 से 50 रुपए की ही मजदूरी कर पाता है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि मजदूरों की मजदूरी 100 रुपए प्रति दिन निर्धारित की जाए। नरेगा के अंदर पक्के कार्य नहीं हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें नरेगा कहां से आ गया?

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, यह विषय पंचायतों में विकास से संबंधित है। नरेगा में पक्के कार्य नहीं हैं, केवल कच्चे कार्य लिए जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि नरेगा के अन्दर पक्के कार्यों को करने की भी अनुमति दी जाए, ताकि गांवों का विकास हो सके और विकास से संबंधित जो भी सामान है, चाहे वह सरिया है, सीमेंट है या मजदूरी है, उसका भुगतान मार्केट रेट पर करने की व्यवस्था पंचायतों की ओर से की जाए, तभी जाकर गांव विकास करेगा। जब गांव विकास करेगा, तभी हमारी त्रिस्तरीय पंचायत मजबूत होंगी और देश विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

19.42 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, December 4, 2009/Agrahayana 13, 1931 (Saka).